न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – डॉ साधना शर्मा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 21 / 2019

जीसीएमएस संख्याः 2019 / 00028

1. रामजीत पुत्र राजाराम जाति कुशवाह निवासी गढ़ी दुबाटी तहसील मनियां जिला धौलपुर ....वादी

बनाम

1. रामवीर । पुत्रगण राजाराम जाति कुशवाह निवासीगण ग्राम गढ़ी दुबाटी तहसील
2. शिवचरन । मनियां जिला धौलपुर
3. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा धौलपुर जरिये शाखा प्रबंधक
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर ....प्रतिवादीगण

दावा बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 14.07.2025

वादी ने विरूद्ध प्रतिवादीगण दिनांक 14.06.2019 को एक राजस्व वाद बाबत बटवारा काश्त व स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय में पेश किया। जो बाद तहकीकात दिनांक 06.08.2024 को प्रांरम्भिक रूप से डिक्री किया गया, तथा तहसीलदार मनियां से विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये। तहसीलदार मनियां ने पत्रांक 650 दिनांक 04.07.2025 से विभाजन प्रस्ताव न्यायालय में प्रेषित किये है।

विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया एवं वकील वादी को सुना गया। वकील वादी ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वकील वादी की बहस सुनी गई, वकील वादी ने विभाजन प्रस्ताव पर अपनी सहमति जाहिर की, एवं मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

हमने वकील वादी की बहस का मनन किया एवं तहसीलदार धौलपुर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातों का अवलोकन किया विभाजन प्रस्ताव विवादित आराजी पर वर्तमान खातेदार काश्तकारों के दर्ज हिस्से अनुसार ही है। ऐसी स्थिति में दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित समझते है।

अतः आदेश है कि दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर पक्षकारों को विवादित आराजी खसरा नम्बर 1420, 1442 स्थिति ग्राम गढ़ी दुबाटी तहसील मनियां जिला धौलपुर में निम्नानुसार पृथक– पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैः–

खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा
1. रामजीत पुत्र राजाराम जाति कुशवाह हि0 पूर्ण	1442 / 1	0.1433 है0
सा. देह	1420 / 1	0.1517 है0

2.	रामवीर पुत्र राजाराम जाति कुशवाह हि0 पूर्ण सा. देह	1442/2 1420/2	0.1433 है0 0.1517 है0
3.	शिवचरन पुत्र राजाराम जाति कुशवाह सा0 देह राहिन एसबीआई शाखा धौलपुर	1442/3 1420/3	0.1442 है0 0.1518 है0

कुल किता 6 रकबा 0.8851 हैक्टेयर बाकै ग्राम गढ़ी दुवाटी तहसील मनियां जिला धौलपुर कुल लगान 12.56 रूपये।

उपरोक्तानुसार ही पक्षकारों के खाते एवं लगान पृथक– पृथक कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव बैंक के राहिन बदस्तूर रहेंगे। विवादित आराजी के कुल लगान 12 रूपये 56 पैसे के बीस गुना राशि पर देय मुद्रांक कर 25 रूपये 12 पैसे के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेश होने पर पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 14.07.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(डॉ साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मु0
धौलपुर